

न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी-श्री गिर्राज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्र०स० 68/20 ता० रजु. 6-1-20 किरम मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 4-2-2020

सरकार

बनाम

रात्रचर पुत्र प्यारे चाकड सुम्हवाड तह० बयाना जिला-भरतपुर।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का सुम्हवाड ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम सुम्हवाड के खसरा न० 398,397 रकबा 0.19 हैक्ट में से रकबा 0.08 हैक्ट किस्म भूमि चरगाहा पर राबत 2076 में श्री रात्रचर पुत्र प्यारे चाकड सुम्हवाड तह० बयाना ने जेड कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर अपना जबाव पेश किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 398,397 रकबा 0.08 हैक्ट वाले ग्राम सुम्हवाड से बेदखल किया जाता है। लगान 1.28 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 64/- रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी०आर०ए० हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलागी हेतु पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को आदेश जारी हो।

पत्रावली फौसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 4-2-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार की दफतर
दिनांक 5/2/20
वसूली 64/-
तहसीलदार
बयाना

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

